बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 19/एम 1–51/2026

प्रेस नोट

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

इससे राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्रता से नियुक्ति की कार्रवाई हो सकेगी।

23/4/26

(राजीव रौशन)
सचिव

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेस नोट

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व–1000 साल की अटूट आस्था की परिकल्पना के अंतर्गत कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा दिनांक–20 जुलाई 2026 को 'सोमनाथ यात्रा' का आयोजन किया जाना है। इस हेतु लगभग 1100 श्रद्धालुओं के साथ विशेष ट्रेन पटना से सोमनाथ हेतु प्रस्थान करेगी तथा दो दिवसीय सोमनाथ भ्रमण उपरांत वापसी करेगी। "सोमनाथ यात्रा" का आयोजन कराने एवं उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं (यात्रा, लॉजिस्टिक व्यवस्था एवं अन्य संबंधित गतिविधियाँ) हेतु राशि 2.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्यान्तर्गत पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती ई–नीलामी– सह–निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु समाहर्त्ता को शक्ति प्रत्यायोजित करने तथा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामिस्व दर से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर प्रथम वर्ष के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति के पश्चात पत्थर खनन पट्टों में उपलब्ध पत्थर की मात्रा के आधार पर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सकेगा। जिला समाहर्त्ता को ई–नीलामी हेतु शक्ति प्रत्यायोजित करने से शीघ्र ई–नीलामी सम्पन्न हो सकेगी।

30/06/2016

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

01 जुलाई 2026 से राज्य के सभी 38 जिलों में विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) योजना अंतर्गत बिहार का कार्यान्वयन किया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ करने के साथ–साथ टिकाऊ परिसम्पति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक व्यस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष अंतर्गत 125 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा व्यय का 60% तथा राज्य सरकार द्वारा 40% वहन किया जाएगा।

विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) योजना, बिहार 2026 अंतर्गत कार्यरत अकुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक अकुशल मजदूर के प्रति सात घंटा काम के लिए लीड एवं लिफ्ट के साथ मिट्टी कटाई हेतु निर्धारित दर स्वीकृत किया गया है ।

24/06/2026
प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना ।

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित महात्मा गांधी नरेगा के स्थान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना अधिसूचित है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करना है । इसका मुख्य लक्ष्य विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है ।

विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 के कार्यान्वयन हेतु बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी को समन्वय अभिकरण (Nodal Agency) के रूप में स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित संस्थागत संरचना (Institutional Structure) को अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

20/06/2026
प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना ।

(6)

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)।

प्रेस नोट

केन्द्रीय कारा, बक्सर की भूमि मे से कुल 01 एकड़ 90 डी० (600 फीट x 138 फीट) भूमि, जिस पर वामन भगवान मंदिर अवस्थित है, को मंदिर के विकास, सौन्दर्यीकरण एवं इसमें प्रवेश हेतु सहज व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से वामन भगवान मंदिर हेतु चिन्हित कर कारा परिसर से पृथक किये जाने तथा कारा सुरक्षा को अप्रभावित बनाये रखने हेतु मंदिर परिसर के तीन तरफ से कंटीले तार सहित 14 (चौदह) फीट की चहारदीवारी का निर्माण कराने की अनुमति के संबंध में मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(कुन्दन कुमार)
सचिव, गृह विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

(7)

।। प्रेस नोट।।

पटना नगर निगम द्वारा शहर की दीर्घकालिक शहरी चुनौतियों विशेषकर सड़क अतिक्रमण एवं अनियमित वेन्डिंग के कारण यातायात में होने वाली असुविधा आदि को ध्यान में रखते हुए ₹200 करोड़ रुपये तक के नगर निगम बाँण्ड जारी किया जायेगा, इससे संसाधन का व्यय नहीं हो तथा नगर निगम, पटना उद्देश्यों की पूर्ति के साथ–साथ उससे प्राप्त होने वाली राजस्व की प्राप्ति नियमित रूप से होगी।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(15)

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी, पटना के कार्यों का बेहतर संचालन, वन्यजीवों के प्रबंधन, पर्यटकों के प्रबंधन, वन्यजीवों के 24×7 सुरक्षा, प्रबंधन तथा देखभाल के साथ–साथ प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं परिसम्पदाओं के रख–रखाव इत्यादि कार्य हेतु विभिन्न कोटि के कुल 23 (तेईस) पदों (01 (एक) नियमित पद एवं 22 (बाईस) संविदा आधारित पद) का सृजन किया गया है।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

(15)

9

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी के निबंधन हो जाने के उपरांत वर्तमान में पूर्व में सृजित कुल 29 (उनतीस) पदों की आवश्यकता पटना जू के अन्तर्गत नहीं रहने के कारण उक्त पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

(10)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस – नोट

16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली बेसिक एवं निष्पादन अनुदान कुल ₹51923.00 करोड़ (इक्यावन हजार नौ सौ तेईस करोड़ रूपये) मात्र को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच के वितरण, उपयोग, क्रियान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिससे राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सर्वांगीण विकास में सहायता होगी।

(मनोज कुमार)
सचिव

(11)

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन 31 बस डिपो/स्टैण्ड का निर्माण पी०पी०पी० मोड पर किया जायेगा, जिससे बसों के परिचालन कर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुगम, सुलभ एवं सस्ता परिवहन सेवा उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को प्राप्त होने वाले राजस्व से बसों को रख–रखाव, संचालन व्यय एवं पूंजीगत व्यय में सहयोग प्राप्त होगा। इस योजना के क्रियान्वयन होने से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 200–300 करोड़ राजस्व प्राप्त होगा

इस योजना में राज्य सरकार/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कोई राशि व्यय नही की जायेगी। बस डिपो/स्टैण्ड के निर्माण में शत प्रतिशत राशि का व्यय निजी भागीदार द्वारा किया जायेगा।

(राज कुमार)
सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

12

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

गया जी जिलान्तर्गत डोभी अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–35.19 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि अमृतसर–कोलकाता– इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना अन्तर्गत एन0एच0–2 के डोभी मोड़ से चन्दाग्राम होते हुए बभनदेव जंगल के पास पक्की सड़क तक फोरलेन पथ निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

13

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अंचल–पूर्णियाँ पूर्व, मौजा–मधुबनी, थाना सं0–123/1, खाता सं0–1443 के विभिन्न खेसरा की प्रस्तावित रकवा–05 एकड़ 15 वर्गकड़ी खासमहाल बिहार सरकार की भूमि नवीन केन्द्रीय विद्यालय के स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल–राजगीर, मौजा–पिलखी, थाना सं0–484 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–05 एकड़ लैण्ड बैंक हेतु अर्जित भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एमि सुधार विभाग

15

प्रेस नोट

राज्य में नौकाघाट की बंदोबस्ती एवं प्रबंधन को अधिनियमित करने हेतु बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 8, 2023) प्रवृत है।

उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन नियमावली, 2026 गठित किया गया है, जिसके गठन में संबंधित कुल आठ विभागों के अभिमत/मत को समावेशित किया गया है, जिसके तहत राज्य में लोक नौकाघाट के साथ–साथ निजी नौकाघाटों को घोषित करने, स्थापित करने, परिभाषित करने, स्थगित करने, इसके बन्दोबस्ती, प्रबंधन, पथकर, नियंत्रण, नौका के पंजीकरण, संचालन, शास्ति, अपील एवं पुनरीक्षण संबंधी विस्तृत प्रावधान किये गये है, जिससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ–साथ लोगों को नदियों के आर–पार करने तथा सामाग्रियों की ढुलाई में सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

लोक नौकाघाटों की बंदोबस्ती सुरक्षित जमा राशि के आधार पर लोक निलामी से सार्वजनिक डाक प्रणाली के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता को न्यूनतम 03 (तीन) वित्तीय वर्ष और अधिकतम 05 (पाँच) वर्ष के लिए किया जायेगा। इससे प्राप्त आय को लोक नौकाघाट के नियंत्रण, प्रबंधन, बुनियादी सुविधाओं, रखरखाव और उन्नयन पर खर्च किया जायेगा।

(जय सिंह),
सचिव।

(16)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

: प्रेस नोट :

राज्य सरकार द्वारा राजस्व सेवा के कार्यो के प्रति कोई अभिरूचि नहीं लेने के कारण श्रीमती सोनी कुमारी, तत्कालीन राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, राजस्व(सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छारिता पर रोक लगाने एवं प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए श्रीमती कुमारी को सरकारी **सेवा से बर्खास्तगी**, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने हेतु स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–

नाम :–जय सिंह

पदनाम : सचिव।

17

बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

******

प्रेस नोट

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों, विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा अन्य सामग्रियों को विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनहित में प्रचार–प्रसार के लिए नोडल विभाग है। बदलते हुए परिवेश में नई सूचना तकनीक विकसित होने, बदलती हुई कार्य प्रकृति, सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/महत्वपूर्ण उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार–प्रसार करने, प्रभावकारी लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु विभिन्न माध्यमों का पेशेवर तरीके से उपयोग करने, बाह्य विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता, आधुनिक तकनीक एवं संसाधन का प्रभावी उपयोग करने हेतु लोक–निजी भागीदारी की पृष्ठभूमि में "बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली, 2026" प्रख्यापित करने की आवश्यकता है।

इस नियमावली का गठन होने से बाह्य विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता, आधुनिक तकनीक एवं संसाधन का प्रभावी उपयोग से सरकार की लोक कल्याणकारी नीति एवं कार्यक्रमों का जन जागरूकता हेतु व्यापक एवं प्रभावकारी प्रचार–प्रसार सरल हो जायेगा।

23/6/26

(नवीन कुमार)
सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

18 (53)

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

भवन निर्माण विभाग से केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, (आरा) में 20 पी0ओ0 आवास (G+5), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास (टाईप–F), प्रधान न्यायाधीश, आवास (टाईप–G) एवं न्यायिक आवासीय परिसर के बाहरी चाहरदीवारी निर्माण कार्य के निमित्त कुल रु0–16,08,07,000/–(सोलह करोड़ आठ लाख सात हजार) रूपये प्राक्कलित राशि की विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–5960, दिनांक–10.08.2023 द्वारा पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की पुनरीक्षित करने के निमित 20 जजेज (पी0ओ0) आवास एवं ट्रांजिट कम–गेस्ट हाउस (G+6), अपर जिला, सत्र न्यायाधीश के आवास (F टाईप) एवं प्रधान न्यायाधीश के आवास (G टाईप) निर्माण के निमित कुल रू0–21,59,87,000/– (इक्कीस करोड़ उनसठ लाख सतासी हजार) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है जिसमें लोक वित्त समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई है।

यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इस योजना के निर्माण कार्य पर व्यय, योजना के राशि का 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा।

अतः केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, (आरा) में 20 पी0ओ0 आवास (G+5), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास (टाईप–F), प्रधान न्यायाधीश, आवास (टाईप–G) एवं न्यायिक आवासीय परिसर के बाहरी चाहरदीवारी निर्माण कार्य के निमित्त कुल रु0–16,08,07,000/–(सोलह करोड़ आठ लाख सात हजार) रूपये प्राक्कलित राशि की विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–5960, दिनांक–10.08.2023 द्वारा पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की पुनरीक्षित करने के निमित 20 जजेज (पी0ओ0) आवास एवं ट्रांजिट कम–गेस्ट हाउस (G+6), अपर जिला, सत्र न्यायाधीश के आवास (F टाईप) एवं प्रधान न्यायाधीश के आवास (G टाईप) निर्माण के निमित कुल रू0–21,59,87,000/–(इक्कीस करोड़ उनसठ लाख सतासी हजार) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\Prem Prakash\Ajay Ji-1\scheme administrative sanction\mantri parisad\press note.doc1.doc

(19)

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

प्रेस नोट

बीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए पूर्व से 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹29,56,99,196/– (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

भू–अर्जन में जिला पदाधिकारी द्वारा अंतिम रूप से राशि बढ़ने के कारण यह प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है।

11/7/16

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

20

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के प्रभावशाली प्रशासन हेतु एक अपर प्रबंध निदेशक एवं एक महाप्रबंधक (ऑपरेशन एवं वित्त) अर्थात कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के अंतर्गत वर्तमान में एक प्रबंध निदेशक तथा एक महाप्रबंधक का पद प्रशासनिक नियंत्रण हेतु स्वीकृत है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्रों में प्राथमिकता के अनुसार नये–नये पर्यटकीय विकास संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण तथा आने वाले पर्यटकों के सुख–सुविधा हेतु पर्यटकीय यात्रा पैकेज एवं अन्य कई कार्य प्राथमिकता के तहत किया जा रहा है। साथ ही बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजनाएँ का क्रियान्वयन किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा उक्त किये जा रहे कार्यों का बेहतर पर्यवेक्षण, प्रबंधन तथा संचालन हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के अंतर्गत प्रबंध निदेशक तथा महाप्रबंधक पद को पुनर्गठन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

मंत्रिपरिषद् द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के प्रभावशाली प्रशासन हेतु एक अपर प्रबंध निदेशक एवं एक महाप्रबंधक (ऑपरेशन एवं वित्त) अर्थात कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

(21)

प्रेस–नोट

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर रू0 25,000.00 करोड़ (रू0 पच्चीस हजार करोड़) का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इससे राज्य में सतत् आर्थिक विकास को गति, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, घरेलू एवं विदेशी निवेश, राज्य का सर्वांगीण विकास, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना और कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों को आधुनिक बनाने में सहायता मिलेगी।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना

राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 3459.71 लाख रू० (चौतीस करोड़ उनसठ लाख इकहत्तर हजार रूपये) मात्र की लागत पर "गन्ना यंत्रिकरण योजना" कार्यान्वित की जाएगी।

सात निश्चय–3 (2025–2030) के तहत् "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" के तहत पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करना तथा नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जिसके दृष्टिगत गन्ना की पर्याप्त उपलब्धता हेतु राज्य में गन्ना का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्तमान में गन्ना खेती में श्रमिकों की उपलब्धता में कमीं, मजदूरी दर में वृद्धि, कृषि कार्यो के बढ़ते खर्च तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के सीमित उपयोग के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है।

आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से गन्ना बीज का उपचार किया जा सकता है। कृषि यंत्रों की मदद से वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित दूरी पर गन्ना बीज को खेत में लगाया जा सकता है। कीट व्याधि एवं खर–पतवार के नियंत्रण के लिए आधुनिक यंत्र का उपयोग आवश्यक है। इस योजना के अधीन गन्ना की खेती में आधुनिक यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए खेत की तैयारी से लेकर गन्ना के कटाई प्रबंधन तक के यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा, ताकि किसान यंत्रिकरण के माध्यम से कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सकें।

गन्ना उत्पादन को लाभकारी बनाने, कृषि लागत को कम करने तथा किसानो की आय में वृद्धि के उद्देश्य से गन्ना खेती में यंत्रिकरण को बढ़ावा देना हेतु "गन्ना यंत्रिकरण योजना" का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा कराया जाएगा। इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया सुमेक (SuMech) पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

23

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना

कृषि रोड मैप अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " का कुल 3793.05 लाख रू0 (सैतीस करोड़ तिरानवें लाख पाँच हजार रूपये) मात्र की लागत पर ईख विकास की योजनायें कार्यान्वित की जाएगी।

गन्ना एक नगदी औद्योगिक फसल है। गन्ना आधारित चीनी उद्योग से राज्य के लाखों कुशल एवं अकुशल मजदूर एवं कृषक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता तथा चीनी रिकवरी में वृद्धि लाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में गन्ने की कुल 16 चयनित प्रभेदों पर ही इस कार्यक्रम के तहत गन्ना कृषकों को लाभ दिया जाएगा। इससे गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी।

योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिलों के सहयोग से कराया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पर योजना का पर्यवेक्षण संबंधित उप निदेशक, ईख विकास द्वारा किया जाएगा। इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया केन केयर पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को विभाग द्वारा स्वीकृत एवं हस्तांतरित परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 15,000.00 (पन्द्रह हजार करोड़ रूपये) मात्र, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) एवं 6,000.00 (छः हजार करोड़ रूपये), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) को वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग के अधीन स्वीकृत योजनाओं के ससमय एवं सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकांश योजनाओं को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) को हस्तांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में है। BSRDCL एवं BRPNNL को विभाग द्वारा स्वीकृत एवं हस्तांतरित ऐसी योजनाएं, जो किसी अन्य वित्तीय संस्था/बैंक से वित्त पोषण के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है तथा जिनकी लागत राशि रु० 50 करोड़ से अधिक है, के लिए राज्य सरकार के गारन्टी पर कतिपय शर्त्तों के अधीन वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रमशः 15,000.00 (पन्द्रह हजार करोड़ रूपये) मात्र, एवं 6,000.00 (छः हजार करोड़ रूपये), मात्र का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

25

प्रेस नोट

बिहार सरकार द्वारा राज्य में गुणवत्तापूर्ण सड़क अवसंरचना के विकास, उन्नयन एवं अनुरक्षण को निरंतर प्राथमिकता दी जा रही है। सड़के, बड़े पुल, उपमार्ग एवं अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण से बिहार में सड़क संपर्कता, सड़क सुरक्षा (Road Safety), यात्रा सुगमता में बढ़त एवं यात्रा समय की बचत हुई है, जिसे भविष्य में भी निरंतर बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार के स्वामित्व वाले पथ अवसंरचनाओं पर पथकर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके फलस्वरूप पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026 को प्रख्यापित किया गया है।

इस नियमावली में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए स्पष्ट शुल्क का प्रावधान किया गया है तथा शुल्क दरों के वार्षिक पुनरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, Fastag एवं अन्य स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से आधुनिक एवं सुगम टोल संग्रहण को प्रोत्साहित किया गया है, जबकि निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए छूट एवं पात्र उपयोगकर्त्ताओं के लिए रियायती पास एवं बहु–यात्रा रियायतों का भी प्रावधान किया गया है।

इस व्यवस्था में Non-Fastag वाहनों के मामलों में अधिक उपयोगकर्त्ता शुल्क एवं अधिभारयुक्त वाहनों के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही पारदर्शिता, अंकेक्षण, जवाबदेही तथा सुदृढ प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया है, ताकि टोल प्रणाली का प्रभावी, विश्वसनीय एवं उत्तरदायी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

26

प्रेस–नोट

उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3223 दिनांक–26.08.2025 द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 लागू है। उद्योग विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक SIPB/944 दिनांक 01.04.2026 द्वारा इसकी वर्तमान वैधता दिनांक 30.06.2026 तक की गई है। निवेशकों की अभिरूचि को देखते हुए पैकेज का अवधि विस्तार दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 अथवा नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2026 लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो तक किया गया है।

इससे राज्य में औद्योगिक निवेश की निरंतरता बनी रह सकेगी।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

27

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

मधेपुरा जिलान्तर्गत अंचल–मधेपुरा, मौजा–साहुगढ़, थाना सं0–60 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–05 एकड़ 50 डी0 156 वर्गकड़ी सरकारी भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

28

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल–राजनगर, मौजा–महिनाथपुर, थाना सं0–189, खाता सं0–01, खेसरा सं0–385 की कुल प्रस्तावित रकवा–05 एकड़ बिहार सरकार की भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

29

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

शेखपुरा जिलान्तर्गत अंचल–शेखोपुरसराय के मौजा–नीमी, थाना सं0–10, खाता सं0–527, खेसरा सं0–4506 की कुल प्रस्तावित अतिरिक्त रकवा–47.847 डी0 गैरमजरूआ मालिक बालू भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय, शेखोपुरसराय (शेखपुरा) के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव